रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 8—जून 14, 2013 (ज्येष्ठ 18, 1935)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 8—JUNE 14, 2013 (JYAISTHA 18, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2013

सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.7/सीएमडी/2013--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामत:

1. मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 30 में, स्पष्टीकरण सं. (2) के लिये, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(2) तुलन पत्रेतर मदें

क. सामान्य

आ.वि. कंपनियां कुल जोखिम भारित तुलन पत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना बाजार संबंधित जोखिम भार राशि और बाजार से इतर तुलन पत्रेतर मदों के रूप में करेंगी। तुलन पत्रेतर मद की जोखिम-भारित राशि जिससे ऋण एक्सपोजर बढ़ जाता है, की गणना द्वि-चरण पद्धति से की जाएगी:

I. लेनदेन की काल्पनिक राशि को निर्दिष्ट ऋण संपरिवर्तनीय कारक से गुणा करके या मौजूदा एक्सपोजर विधि को लागू करके ऋण समतुल्य राशि में संपरिवर्तित किया जाता है; और

II. ज्ञात ऋण समतुल्य राशि को लागू जोखिम भार से गुणा किया जाता है, यथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों के एक्सपोजर का शून्य प्रतिशत, बैंकों को एक्सपोजर के लिये 20 प्रतिशत और अन्य के लिये 100 प्रतिशत होगा।

ख. बाजार से इतर तुलन पत्रेतर मदें

बाजार से इतर तुलन पत्रेतर मद के अनुसार ऋण समतुल्य राशि का निर्धारण उस लेनदेन विशेष की संविदागत राशि को संबंधित ऋण संपरिवर्तित कारक (सीसीएफ) से गुणा करके किया जाएगा।

मद सं.	मद विवरण	ऋण संपरिवर्तित कारक
i.	आवास ऋणों/अन्य ऋणों की असंवितरित राशि	50
ii.	वित्तीय एवं अन्य गारंटियां	100
iii.	शेयर/डिबेंचर हमीदारी दायित्व	50
iv.	अंशतः-भुगतान हुए शेयर/डिबेंचर	100
v.	बिल बट्टा/पुनः बट्टा	100
vi.	किये गये पट्टा संविदाएं किंतु निष्पादन अभी होना है	100
vii.	इस प्रकार बिक्री और पुनः क्रय करार और आस्ति बिक्री, जिसमें ऋण जोखिम आ.वि. कंपनी पर रहे	100
viii.	वायदा आस्ति क्रय, वायदा जमा और अंशता भुगतान हुए शेयर और प्रतिभूतियां जो पूर्व में की गई कुछ प्रतिबद्धताओं से संबंधित हों	100
ix.	आ.वि. कंपनी द्वारा संपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों को ऋण पर देना या प्रतिभूतियों की प्रविष्टि करना जहां वे रेपो ढंग से लेनदेन किये गये हों	100
x.	अन्य प्रतिबद्धताएं (जैसे औपचारिक एवजी सुविधाएं और ऋण सीमा (परियोजना ऋणों सहित)) जिनकी मूलतः परिपक्वता एक वर्ष तक एक वर्ष से अधिक	 20 50
xi.	समान प्रतिबद्धताएं जिन्हें आ.वि. कंपनी द्वारा बिना कोई पूर्व	0

	नोटिस दिये बिना, किसी भी समय बिना शर्त निरस्त किया जा सकता है या ऋणकर्ता की ऋण क्षमता कम होने के कारण स्वत: निरस्त किया जा सकता है		
xii.	अधिग्रहीत किये संस्थान की बहियों में वित्त आहरण		
	(क)	बिना शर्त वित्त आहरण	100
	(ख)	सशर्त वित्त आहरण	50
		टिप्पणी: चूंकि प्रतिपक्षी एक्सपोजर से जोखिम भार निर्धारित होगा,यह सभी ऋणकर्ताओं के संबंध में 100 प्रतिशत या शून्य प्रतिशत यदि सरकारी प्रतभूति के तहत हो।	
xiii.	मानक आस्ति लेनदेनों के प्रतिभूतिकरण के लिये चल निधि की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता		100
xiv.	तृतीय पक्ष द्वारा दिये मानक आस्ति लेनदेनों के प्रतिभूतिकरण के लिये द्वितीय हानि ऋण संवर्धन		100
xv.	अन्य फुटकर देयताएं (उल्लिखित की जाएं)		50

टिप्पणी:

i. संपरिवर्तनीय कारक लागू करने से पहले नकद मार्जिन/जमा राशि की कटौती कर ली जाएगी।

ii. *जब बाजार इतर तुलन पत्रेतर मद गैर-आहरित या आंशिक गैर-आहरित निधि-आधारित सुविधा हो, तो गैर-आहरित प्रतिवद्धता राशि को तुलन पत्रेतर गैर-बाजार संबंधित ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय शामिल किया जाए, यह प्रतिबद्धता का अधिकतम अप्रयुक्त भाग होता है जिसे परिपक्वता की शेष अविध के दौरान आहरित किया जा सकता है। प्रतिबद्धता का आहरित कोई भी भाग आ.वि. कंपनी के तुलन पत्र ऋण एक्सपोजर का हिस्सा बनता है।*

उदाहरण के लिये:

एक बड़ी आवास परियोजना के लिये 100 करोड़ रु. के सावधि ऋण की मंजूरी दी गई जिसे तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध आधार पर आहरित करना है। संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार तीन चरणों में आहरण की अनुमति है – चरण-1 में 25 करोड़ रु., चरण-2 में 25 करोड़ रु. और चरण-3 में 50 करोड़ रु., जिसमें ऋणकर्ता को कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चरण-2 और 3 में आहरण के लिये आ.वि. कंपनी की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यदि ऋणकर्ता ने चरण-1 में 10 करोड़ रु. का आहरण कर लिया हो, तब आहरित नहीं किये गए भाग को चरण-1 के तहत ही माना जाएगा अर्थात यह 15 करोड़ रु. होगा। यदि चरण-1 को एक वर्ष में पूरा करना निर्धारित किया गया है, तो सीसीएफ 20 प्रतिशत होगा और यदि यह एक वर्ष से अधिक होगा तो सीसीएफ 50 प्रतिशत होगा।

ग. बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदें

i. आ.वि. कंपनियों को जोखिम भारित तुलन पत्रेतर ऋण एक्सपोजर की गणना करते समय सभी बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों (ओटीसी व्युतपन्न और प्रतिभूति वित्त लेनदेन जैसे रेपो/रिवर्स रेपो/सीबीएलओ आदि) को गणना में शामिल करना चाहिए।

ii. बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों का जोखिम भार आ.वि. कंपनी पर संविदा द्वारा निर्दिष्ट नकदी प्रवाह को प्रतिपक्ष की चूक की स्थिति में बदलने वाली लागत होगी। यह अन्य बातों के साथ-साथ संविदा की परिपक्वता और लिखत की दरों की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा।

iii. बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मदों में शामिल होंगी :

क. ब्याज दर संविदाएं – इसमें सिंगल करेंसी ब्याज दर स्वैप, बेसिस स्वैप, वायदा दर करार, और भावी ब्याज दर शामिल हैं;

ख. विदेशी मुद्रा संविदाएं, इसमें स्वर्ण संबंधी संविदाएं – क्रॉस करेंसी स्वैप (क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप सहित), वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी विकल्प शामिल हैं।

ग. ऋण डिफाल्ट स्वैप; और

घ. कोई अन्य बाजार संबंधित संविदाएं जिनके लिये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो जिससे ऋण जोखिम बढ़ता है।

iv. पूंजीगत अपेक्षाओं से छूट निम्नलिखित के लिये अनुमत्य है –

क. विदेशी मुद्रा (स्वर्ण के सिवाय) संविदाएं जिनकी मूलत: परिपक्वता अवधि 14 कैलेंडर दिन या कम हो; और

ख. वायदा पर की गई लिखतें और आप्शंस एक्सचेंज जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट तथा मार्जिन भुगतानों के अधीन होते हैं।

अधिसूचना – सीएमडी

5. केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) को ऐक्सपोजर, व्युत्पन्नी व्यापार के कारण और उनके विरूद्ध बकाया प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (उदाहरणार्थ संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व – सीबीएलओ, **रेपोज**) प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के लिये शून्य ऐक्सपोजर मूल्य अभ्यर्पित किया जाएगा, जैसे कि यह अनुमानित है कि सीसीपी के अपने प्रतिपक्षकारों को ऐक्सपोजर दैनिक आधार पर पूरी तरह संपार्श्विकीकृत हैं, उसके द्वारा सीसीपी के ऋण जोखिम पूर्ण ऐक्सपोजर हेतु सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं।

6. सीसीपी के पास संपार्श्विक के रूप में दर्ज कॉरपोरेट प्रतिभूतियों के लिये 100 प्रतिशत सीसीएफ लागू किया जाएगा और परिणामी तुलनपत्रेतर ऐक्सपोजर सीपी की प्रकृति के लिये उपयुक्त जोखिम भार अभ्यर्पित करेगा। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा और अन्य सीसीपी के लिये जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा।

7. व्युत्पन्नी लेनदेनों के संबंध में किसी प्रतिपक्षकार को कुल ऋण ऐक्सपोजर की गणना निम्न वर्णित वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली के अनुसार की जानी चाहिये।

घ. वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली

किसी बाजार संबंधी तुलनपत्रेतर लेनदेन की ऋण तुल्य राशि वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली का उपयोग करते हुए गणना किये गये i) वर्तमान ऋण ऐक्सपोजर और ii) ठेके के संभाव्य भावी ऋण ऐक्सपोजर का योग है।

i. वर्तमान ऋण ऐक्सपोजर किसी एकल प्रतिपक्षकार (उक्त प्रतिपक्षकार के साथ विभिन्न ठेकों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किये जाने चाहिये) के संबंध में सभी ठेकों के सकल सकारात्मक प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य के योग के तौर पर परिभाषित किया गया है। वर्तमान ऐक्सपोजर प्रणाली हेतु इन ठेकों को बाजार को निर्दिष्ट करने के माध्यम से वर्तमान ऋण ऐक्सपोजर की आवधिक गणना अपेक्षित है।

ii. लिखतों की प्रकृति और अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार निम्नलिखित उपयुक्त वर्धित कारकों द्वारा चाहे ठेका एक शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य रखता हो, इस पर ध्यान दिये बिना इन ठेकों में से प्रत्येक की अनुमानित मूल राशि को बढ़ाने के द्वारा संभाव्य भावी ऋण ऐक्सपोजर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज दर संबंधी, विनिमय दर संबंधी और स्वर्ण संबंधी व्युत्पन्नों हेतु ऋण परिवर्तन कारक

	ऋण परिवर्तन कारक (%)	
	ब्याज दर ठेके	विनिमय दर ठेके एवं स्वर्ण
एक वर्ष और उससे कम	0.50	2.00
एक वर्ष से अधिक और पाँच वर्षों तक	1.00	10.00
पाँच वर्षों से अधिक	3.00	15.00

क. मूलधन के बहु विनिमय सहित ठेकों के लिये, वर्धित कारक ठेके में शेष भुगतानों की संख्या द्वारा बढ़ाये जाएंगे।

ख. उन ठेकों के लिये जो निर्धारित भुगतान तारीखों के अनुसार बकाया ऐक्सपोजर के भुगतान के लिये निर्मित किये गये हैं और जहां शर्तों का पुनर्निर्धारण किया जाता है जैसे कि ठेके का बाजार मूल्य इन निर्धारित तारीखों पर शून्य है, अगली पुनर्निर्धारण तारीख तक अवशिष्ट परिपक्वता समय के समान निर्धारित की जाएगी। हालांकि, ब्याज दर ठेकों के मामले में, जिनकी एक वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वताएं हैं और उपरोक्त मानदंड पूरे करते हैं, सीसीएफ अथवा वर्धित कारक न्यूनतम 1.0 प्रतिशत के अनुसार हो।

ग. एकल मुद्रा फ्लोटिंग/ फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप हेतु किसी संभाव्य ऋण ऐक्सपोजर की गणना नहीं की जाएगी; इन ठेकों पर ऋण ऐक्सपोजर केवल

उनकी प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किये जाएंगे।

घ. संभाव्य भावी ऐक्सपोजर दृश्यमान आनुमानिक राशि के बजाय प्रभावी राशि पर आधारित होगा। उस स्थिति में जब उल्लिखित आनुमानिक राशि को लेनदेन की संरचना द्वारा नियंत्रित अथवा बढ़ाया जाता है, संभाव्य भावी ऐक्सपोजर को निर्धारित करने के लिये प्रभावी आनुमानिक राशि का उपयोग किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, आवास वित्त कंपनी की ऋण दर से दो गुना आंतरिक दर के आधार पर भुगतानों सहित यूएसडी 1 मिलियन की उल्लिखित आनुमानिक राशि की प्रभावी आनुमानिक राशि यूएसडी 2 मिलियन होगी।

ङ. ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) हेतु ऋण परिवर्तन कारक:

"संरक्षण क्रेताओं के लिये संदर्भ आस्ति/देयता में विशेष जोखिम के लिये सीडीएस एक आनुमानिक अल्प स्थिति बनाता है। यह स्थिति 100 का ऋण परिवर्तन कारक और 100 का जोखिम भार आकर्षित करेगी। संभाव्य भावी ऐक्सपोजर के संबंध में वर्धित कारक 10 प्रतिशत (सीडीएस के आनुमानिक मूलधन का) के तौर पर स्थिर किये जा सकते हैं।"

2. मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 32 में, उप-अनुच्छेद की शर्त (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"बशर्ते कि उप-अनुच्छेद के तहत निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा के भीतर, किसी आवास वित्त कंपनी का किसी अन्य आवास वित्त कंपनी (इसकी सहायक कंपनी/कंपनियों के अलावा) के शेयरों में निवेश निवेशी कंपनी की ईक्विटी पूंजी के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

3. मुख्य निर्देशों का अनुच्छेद 37 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

शाखाएं/कार्यालय खोलना

37(1) कोई भी आवास वित्त कंपनी भारत में शाखा अथवा कार्यालय खोलने से पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक को शाखा अथवा कार्यालय खोलने के इरादे की लिखित में सूचना देगी।

(2) कोई आवास वित्त कंपनी भारत से बाहर शाखा नहीं खोलेगी।

(3) कोई आवास वित्त कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालय नहीं खोलेगी।

अनुमोदन के अनुरोध के लिये आवास वित्त कंपनी से आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी द्वारा शाखा/सहायक/संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय अथवा विदेश में निवेश प्रारंभ करना) निर्देश, 2011 दिनांकित 14 जून, 2011 को ध्यान में रखकर विचार किया जाएगा और निम्नलिखित के अनुसार होगा:-

(i) संपर्क कार्य, बाजार अध्ययन और अनुसंधान कार्य शुरू करने के उद्देश्य हेतु भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की जा सकती है परंतु कोई ऐसी कार्रवाई शुरू नहीं की जाए जिसमें निधि का परिव्यय शामिल हो, बशर्ते यह मेजवान देश में विनियामक द्वारा विनियम के अधीन है। यथा यह परिकल्पित नहीं है कि ऐसा कार्यालय संपर्क कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगा, कोई ऋण व्यवस्था प्रदान नहीं की जाएगी।

(ii) आवास वित्त कंपनी भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा शुरू किये गये कारोबार के बारे में आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करेगी। यदि प्रतिनिधि कार्यालय ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है अथवा ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं, उद्देश्य हेतु दिये गये अनुमोदनों की समीक्षाकृत / वापस मांगे जाएंगे।

4. अनुसूची I का संशोधन

मुख्य निर्देशों की अनुसूची I में, मद 9 के लिये, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

9. शाखाओं/कार्यालयों/प्रतिनिधि कार्यालयों की सं.8

9(i) भारत में शाखाओं की संख्या

9(ii) भारत में कार्यालयों की संख्या (प्रतिनिधि कार्यालयों सहित)

9(iii) भारत से बाहर प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या

एक सूची जिसमें उन स्थानों के नाम और पता सहित संपर्क विवरण दर्शाया गया हो जहां भारत में शाखाएं/भारत में कार्यालय (प्रतिनिधि कार्यालय सहित)/भारत के बाहर प्रतिनिधि कार्यालय स्थित हैं, संलग्न होनी चाहिए।''

5. अनुसूची-II में संशोधन

भाग ई हेतु प्रमुख निदेशों की अनुसूची II में निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे, नामत: :-

भाग-ई- भारित गैर-वित्त पोषित एक्सपोजर/तुलन पत्रेतर मदें